बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा की कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २९ मार्च, १९५५ को ९ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

पटना जिला पंचायत का कार्यालय।

*१६०१। श्री गिरिवरधारी सिंह—क्या मंत्री, ग्राम पंचायत विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि पटना जिला पंचायत का कार्यालय एक बहुत छोटी-सी कोठरी में है;

(ख) उसी कोठरी में सुपरवाजईर, सदर का भी कार्यालय है;

(ग) यदि खंड (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या इसे कठिनाई को सरकार दूर करने की बात सोचती है?

श्री भोला पासवान—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) जिला पंचायत अधिकारी, पटना को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने कार्यालय के लिए अन्यत्र कोई मकान खोजकर सरकार को आवश्यक कारंवाई के लिए सूचित करें।

श्री गिरिवरधारी सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि कितना किराया सरकार दे सकती है?

श्री भोला पासवान—जब जिला पंचायत अधिकारी मकान खोज कर हमें सूचित करेंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री गिरिवरधारी सिंह—मेरा पूछना है कि सरकार कहां तक किराया दे सकती है?

अध्यक्ष—सरकार ने कहा है कि जब वे लिखकर भेज देंगे तब उस पर विचार किया जायगा।

श्री भोला पासवान—किराया तो मकान के ऊपर निर्भर करता है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

दी बिहार फाइनेंस बिल, १९५५ इस सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९५५ (१९५५ की वि० सं० ६)।

THE BIHAR APPROPRIATION BILL, 1955 (BILL NO. 6 OF 1955).

श्री रघुनाथ प्रसाद साह—अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल के समर्थन में कुछ बोलना चाहता हूं । मैं सबसे पहले रोड के बारे में कहना चाहता हूं । यातायात की हमारे यहां बहुत कमी है और इसका इंतजाम होना बहुत जरूरी है । मैं खास करके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां एक सड़क ससराम से चौथा और एक सड़क मोहिनीपुर से विक्रमगंज तक जाती है । यह सड़क इतनी खराब हो गयी है कि इस पर चलना मुश्किल हो गया है । जितने पुल थे सब-के-सब टूट गये हैं और बरसात में आना-जाना तो बिल्कुल बन्द हो जाता है । इससे लोगों को तकलीफ होती है । अगर कोई बीमार हो जाता है तो कहीं ले जाने में भी दिक्कत होती है । ससराम से चौथा तक जो सड़क है यह बहुत लंबी-चौड़ी सड़क है और इसके पुल भी टूट गये हैं । बरसात के समय एक लड़का पढ़ने गया था जो नदी में डूब गया था । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी इस पर ध्यान नहीं देती है । इस सड़क पर कई एक साल से मिट्टी भी नहीं चढ़ायी गयी है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सड़क को प्रोवीन्सलाइज कर दिया जाय । मोहिनीपुर से विक्रमगंज तक जो सड़क गयी है उसकी भी मरम्मत नहीं हो रही है और वह बरबाद हो गयी है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है । यह सड़क ४२ माईल की है । मरम्मत नहीं होने के कारण सवारी का आना-जाना भी बन्द हो जाता है । इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि इस सड़क को अगर फर्स्ट फाइव-इयर प्लैन में नहीं लिया गया तो कम-से-कम सेकेंड फाइव-इयर प्लैन में भी इसको ले लिया जाय ।

अब मैं इरिगेशन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। इस देश में सैकड़े ८० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं । तो जब तक इरिगेशन का इंतजाम नहीं होगा तब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर गत साल हमारे थाने में गए थे और पानी का इंतजाम भी करवाया था । बेल्हारी लाइन जो कि १३ से १६ माईल तक की है वह पर साल मरम्मत नहीं हुई थी, इसलिए हम चाहते हैं कि वह लाइन इस साल मरम्मत कर दी जाय । एक गारा लाइन है जो कि मझारी ब्रीज के उत्तर तरफ है उसमें हम चाहते हैं कि एक छोटी लाइन बना दी जाय । हमारे थाने में इरिगेशन की बहुत कमी है और इरिगेशन नहीं होने से पैदावार भी बहुत कम होती है । इसलिए हम चाहते हैं कि इरिगेशन मिनिस्टर इस तरफ ध्यान दें । गत साल आपके ही ध्यान देने की वजह से कुछ पैदावार हो गयी थी नहीं तो पर साल बिल्कुल पैदावार वहां नहीं होती । वह बैकवार्ड एरिया है इसलिए आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ।

तीसरी बात मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं । आज पुलिस में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है जिसका ठिकाना नहीं । वहां एक बस्ती में खून हुआ था । उसमें केस हुआ और पुलिस ने जबर्दस्ती लोगों को पकड़-पकड़ कर २,२०० रुपया घूस लिया । पुलिस ने कितने को पकड़ कर मारा और एक लड़का को मारा भी और उसके बाद उसके मुंह में मिरचाई ठूंस दी । इस प्रकार पुलिस ने रुपया भी लिया उसके साथ एक बोरा गेहूं और घी भी लिया । इस पर भी पुलिस ने उस लड़के को नहीं छोड़ा । तो इस तरह से हमारे थाने में पुलिस की धांधली हो रही है । हमारे थाने में इस तरह से बहुत जोरों में क्राइम बढ़ रहे हैं। ससराम सबडिवीजन में ३ थाने हैं तकोला, नहवना और महमदपुर । १८ मार्च, १९५५ को एक ही रात में तीन खून हुआ था । दुर्गापुर में डकैती हुई है । इससे मालूम होता है कि सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है । हमारे राजस्व मंत्री उस दिन पुलिस का गुणगान कर रहे थे । मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ । पुलिस का गुणगान करने का मतलब यह है कि पुलिस की हिम्मत को बढ़ाना । यह देखा जाता है कि जब चोरी या डकैती ज्यादा होती है तो पुलिस की आमदनी बढ़ जाती है, क्योंकि वे लोग दूसरे ढंग से लोगों को पकड़-पकड़ रुपया वसूलते हैं । अगर कोई आदमी घूस नहीं देते हैं तो उनको पुलिस जेल में भेज देती है । तो आप इसकी तरफ ध्यान दें और पुलिस को सुधारें।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । फर्स्ट फाइव-इयर प्लैन में हमारे एरिया के लिए स्कूल खोलने की बात नहीं है । हमारे यहां के छोटे-छोटे बच्चों को दो-दो कोस तक पढ़ने के लिए जाना पड़ता है । माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम हरएक जिले में गर्ल स्कूल खोलने जा रहे हैं और हरएक सबडिवीजन में मिड्ल स्कूल खोल रहे हैं । लेकिन हरएक सबडिवीजन में मिड्ल स्कूल खोलने से काम नहीं चलेगा, आपको हरएक थाने में मिड्ल स्कूल खोलना चाहिए । अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो लड़के या लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं । इसलिए हरएक थाने में मिड्ल स्कूल और हरएक जिले में हाई स्कूल खोलें ।

हर जिले में जो आज स्कूल खुल रहे हैं उन्हें आप हर सबडिवीजन में खोलें तो इस एरिया का सुधार हो सकता है ।

अब मैं करप्शन के बारे में दो-एक शब्द कहना चाहता हूं और इनकी तरफ आप ध्यान देंगे तो करप्शन बन्द हो सकता है । मान लीजिए कि सालाना जो चीज मिलती है उसके संबंध में उसका सांचा मंजूर होने में यदि देर होती है और दो-चार महीने के बाद वह चीज अगर आती है तो पटवन कैसे होगा । मैं चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री हमारे थाने की तरफ विशेष ध्यान दें । वहां पर इस तरह से करप्शन हो रहा है कि इरिगेशन के बारे में झूठ-मूठ टैक्स आदमियों को लगाते हैं । हमारे थाने में जो सबडिवीजनल ऑफिसर हैं उन्होंने ४१ बीघों के एक जमींदार पर झूठ-मूठ टैक्स लगा दिया है और उन्हें लाचारी देना पड़ता है । अगर पटवन का अच्छा इंतजाम कर दिया जाय तो ऐसा नहीं हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बैठ जाता हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत चाहता था कि मैं जब सदन के

सामने आपके द्वारा निवेदन उपस्थित करूं तो उस समय हमारे सिंचाई मंत्री जरूर उपस्थित रहें और सौभाग्य से वे आज उपस्थित भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आरंभ में ही यह कहना चाहता हूं कि आप जो देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली, परम्परा और पद्धति का बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं इसकी ओर केवल सारे एशिया की ही नहीं बल्कि

सारे विश्व की आंख लगी हुई है। आज इस चीज को देखना होगा कि कैविनेट के, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स की नौकरशाही है और हमलोग जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर सदन में आये हैं इनके बीच क्या संबंध रहे। बजट पर वाद-विवाद करते हुए हमारे एक माननीय सदस्य ने बहुत सुन्दर ढंग से बड़ी रोचक भाषा में कहा था कि सरकार आज उसी स्थिति में आ गयी है जिसमें विना नूरजहां से राय लिये जहांगीर कुछ करता ही नहीं था। नूरजहां से उनका मतलब था आपकी नौकरशाही और जहांगीर से मतलव था कैविनेट मिनिस्टर्स (हंसी)। इस पर वहुत से ग्रंथ तैयार हुए हैं और राजनैतिक शास्त्र के विद्वानों ने, आपके संबंध क्या हों, इस पर वहुत-सी किताबें लिखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मंत्रिगण, जो वहुत कार्य के बोझ से लदे रहते हैं कुछ समय निकाल कर इन वातों पर विचार करेंगे। चूंकि सिंचाई मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं दिहाती हूं और मैं भी एक दिहाती हो हूं इसलिए मैं कुछ दिहात की वात कहना चाहता हूं। दिहात में जो छोटा परिवार होता है उसमें बंधु के स्थान पर एम० एल० ए० को रख दिया जाय तो जिस तरह वह कभी भी यह नहीं कहेगा कि स्त्रियों को सम्मान न हो, नारियों की पूजा नहीं हो इसी तरह एक एम० एल० ए० यह नहीं कहेगा कि सिविल सर्वेंट्स को दुलारा नहीं जाय, उनके काम पर उन्हें वधाई नहीं दी जाय। अगर परिवार को चलाना है तो यह निश्चित चीज है कि जो जिस वक्त जैसा करे उसकी उचित प्रशंसा भी की जाय। मैं इस पर एतराज नहीं करता कि जो सिविल सर्वेंट्स ईमानदारी से काम करते हैं और लगन के साथ देश भक्ति से प्रेरित होकर काम करते हैं उन्हें वढ़ावा नहीं दिया जाय। और अगर कोई आक्रमण उन पर हो तो उनकी उचित रक्षा नहीं की जाय। लेकिन तकलीफ उस समय होती है जब कि मैं काले भेड़िया को माननीय मंत्री को उजले चादर में ढंकते पाता हूं। दिहात में ऐसी परिस्थिति होती है और परिवार ऐसे वक्त में टूटता है जवकि वन्धु अपने बड़ों को आदर्श सलाह नहीं मानकर कुछ ऐसे दूसरे लोगों की राय पर चलते हैं जो घर में फूट डाल देता है। दिहात के हमारे सिंचाई मंत्री भी हैं और मैं भी हूं और मैं जानता हूं कि वहां क्या-क्या होता है। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री के वजट पर वाद-विवाद के सिलसिले में सिंचाई मंत्री के इरिगेशन विभाग के एक सीनियर अफसर के संबंध में मैंने कुछ वातें कही थीं और आज भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं चूंकि सदन के अधिकांश सदस्य उस समय उपस्थित नहीं थे। उन वातों को लेकर जब सिंचाई मंत्री जवाब देने के लिए उठे तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपने चौथे-पन में अपने विवेक को तिलांजलि दे दिया है। जितनी वातों को उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि उन्हें सदन के सामने रखने में तकलीफ हुई लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ आज हमको है और मैं चाहता हूं कि इन वातों की गहराई में जाकर सदन के सामने स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट में रखूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो वातें मैंने उस दिन कही थीं और आज भी कहना चाहता हूं इसकी जांच हो और यह जांच डिपार्टमेंटल नहीं हो बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहव या फाइनेंस मिनिस्टर साहव खुद इसकी जांच करें। जितनी वातें मैंने कही थीं वह मुझे मालूम है और सिंचाई मंत्री जी ने रिपोर्ट पढ़कर जो वात कही थी उसमें भिन्नता है और इसके साक्षी सदन के सदस्य हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जांच के वाद मेरी वात गलत सावित हो तो ऐसी गलत वात कहने वाले सदस्य को सदन में वैठने का कोई हक नहीं है और मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और सिंचाई मंत्री जी से भी मैं कहूंगा कि अगर मेरी वातें सच्ची हों और वे गलती पर हों तो वे जैसे शान वाले आदमी हैं उनकी शान तभी रह सकती है जब वे भी इस्तीफा देने को तैयार हों। मैं जानता हूं कि वे ऐसे आदमी हैं जिनकी स्वाभाविकता

की कृपा बराबर रही है और उनकी राजनैतिक छत्रछाया में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। परन्तु ताज्जुब होता है कि वे आज ऐसे इल्ल एडवाइज्ड हो जायँ और इस ढंग से उनके सामने बातें पेश की जायँ कि वे जोश में आ जायँ और सदन के सामने मेरे ऐसे आदमी पर इल्जाम लगायँ।

मैं जानता हूं कि जिस समय भागलपुर जेल से सिचाई मंत्री छूट कर आये थे वह जिला का आखिरी खुनकिस्मत की। उस समय भागलपुर डिवीजन के कमिश्नर ने पूछा था :

" Well Mr. Chaudhury, do you believe in violence, if you do not what is the harm if you give me in writing that you do not believe in violence."

हमने शान से कहा था :

" Better death than to continue in famine "

हमने जो बुजुर्गो की छत्रछाया में रहकर सीखा, और अपने नेता श्री जयप्रकाश नारायण के सहवास में सीखा, भ्रष्टाचार की आंधी बह रही है तोभी हम मान्यता रखते आये हैं बुजुर्गों की, उसमें यदि आघात होता है तो विवश होकर कहना पड़ता है सर्च-लाइट में २४ मार्च को जो प्रकाशित हुआ उसका एक लाइन सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है या गलत है। यदि गलत है तो खंडन क्यों नहीं हुआ? वह लाइन इस तरह है :

" The Superintending Engineer visited the spot with him (the Minister) and urged the people of the locality not to get sentimental about the tree and let the construction of the Bundh proceed It was done accordingly."

हमें याद है कि सिचाई मंत्री ने ऐसी बात नहीं कही थी। सिचाई मंत्री पीपल गाछ के पास नहीं गये हैं। यह जरूरी नहीं है कि सिचाई मंत्री हर बांध के पास जायँ। उनके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी कभी स्पौट पर नहीं गये थे। मोहनपुर में गये थे और उसी के संबंध में कहा था। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मौजूद थे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे सिचाई मंत्री हमारे गांव में जांय जहां वह पीपल का गाछ हो और वह हमें नहीं मालूम हो, इससे बढ़कर आश्चर्य की बात नहीं होगी। सर्च-लाइट में जो निकलता है उसको मैं समझता हूं सिचाई मंत्री खंडन करेंगे, उनकी ओर से खंडन होना जरूरी है।

श्री राम चरित्र सिंह—सर्च-लाइट में कौन-सा सेन्टेन्स है उसको पढ़िये।

श्री रामनारायण चौधरी—मैं समूचे रिलिभेंट पोरसन को फिर से पढ़ता हूं;

"Sometime ago, the Minister said, Mr. R. N. Chaudhury had told him that a particular Peepal tree should be saved from being cut in the execution of the Bundh. The Minister told Mr. Chaudhary that the matter was entirely with the Superintending Engineer and he could do nothing about it. The Assistant Engineer and he could do nothing about it. The Assistant Engineer was hesitating to agree to the cutting or bringing the Peepal tree within

the Bundh because he did not want to disregard Mr. Choudhury's wishes. But the Superintending Engineer visited the spot with him (the Minister) and urged the people of the locality not to get sentimental about the tree and let the construction of the Bundh proceed. It was done accordingly."

माननीय सिंचाई मंत्री मोहनपुर गये थे जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उनके साथ थे । मोहनपुर के बारे में हो सकता है ।

Shri RAMCHARITRA SINGH : I did not go there. If they say that I had gone there it was wrong. I went to Mohanpur and I did not go there. If they mean that it is wrong.

श्री रामानारायण चौधरी—उसी अखबार में यह कहा गया है कि सिंचाई मंत्री ने

कहा कि श्री रामनारायण चौधरी ३ दिन पहले हमसे मिले थे । वहां बातें क्यों नहीं
कहीं । यह सही बात है कि जब हमलोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, यानि बचपन
ही से उनके सामने आते-जाते थे और कई बातें उनसे होती भी हैं । अगर सारी
बातें सदन में लायी जायँ तो श्री रामचरित्र सिंह जी से कहूंगा कि इस ढंग का प्रयोग
नया प्रयोग कहा जायगा ।

श्री रामचरित्र सिंह—आपने हमें मजबूर किया........

अध्यक्ष—उनकी स्पीच खत्म हो जाय तब आप बोलें ।

श्री रामचरित्र सिंह—हमें कुछ कहना नहीं है ।

I would rather advise him not to discuss it any more. I must
tell you that he made a speech and I was pained.

उनकी स्पीच सुनने के बाद हमें कुछ दुख हुआ । मैंने उनसे कहा था कि इस पर बहस
करना ठीक नहीं है । बहुत-सी ऐसी बातें कहीं गयी हैं जिनमें बहुत तरह की बातें
आ गयी हैं :

He has right to speak but I would advise him not to probe
into this issue any further.

अध्यक्ष—उन्होंने स्पोर्ट्समैन लाइक चैलेंज किया है ।

Shri RAMCHARITRA SINGH : I should resign and he should
resign (thumping of the desk). That is the question. He has used that
expression and I think he should not have done so. I would advise
him not to discuss the matter any further. If he throws
challenge he can do so. He is young and I am old. I would
advise him as a friend for whom I have the greatest regard that
he should not, in that spirit, talk when he is here.

अध्यक्ष—अच्छा होता अगर आप इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते ।

Shri RAMCHARITRA SINGH : He has got right to talk, but I would advise him not to talk on this subject.

अध्यक्ष—जो बात खत्म हो गयी उसको भूल जाना ही अच्छा है ।

श्री रामनारायण चौधरी—जिस समय सिंचाई मंत्री ने रिपोर्ट पढ़ी उस समय मैंने दबी जबान से कहा था, हो सकता है कि उन्होंने नहीं सुना हो, कि भ्रष्टाचार ने इतना व्यापक रूप ले लिया है कि पहले एक देता था और एक लेता था लेकिन अब तो सामूहिक रूप से घूस लिया जाता है। पहले मेरी जानकारी नहीं थी तो मैं क्या कहता। जिस समय मैं सदन में आ रहा था उसी समय एक जवाबदेह आदमी ने कहा.....

Shri RAMCHARITRA SINGH : I will advise you not to discuss it any more. If you will discuss them, I will be forced to say many things.

श्री रामनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, जब सिंचाई मंत्री यह कहते हैं कि "ही विल बी फोर्स्ड टू से मेनी थिंग्स" तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं कि—

He should be requested to say as many dirty things as he knows about me.

अध्यक्ष—आपकी तरफ से जो हो गया और उनकी तरफ से जो हो गया, सो हो गया, दोनों आदमी सम्हल जाइये। यदि आप नहीं मानेंगे तो मेरे हाथ में भी अधिकार है (थपथपी)।

श्री रामनारायण चौधरी—मैंने यह कहा था कि वह आदमी आज भी घूस लेता हुआ पकड़ा जा सकता है।

श्री गदाधर प्रसाद सिंह—मेरा एक पोआइन्ट ऑफ आर्डर है। जब कोई सदस्य बोल रहे हों समाज के बारे में तो समाज तो व्यक्ति से ही बनता है और.........

अध्यक्ष—यह कोई पोआइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

*श्री गदाधर प्रसाद सिंह—व्यक्ति से समाज को अलग करना किस प्रकार संभव है, मान लीजिए............

अध्यक्ष—मैं मिसाल नहीं चाहता हूं।

श्री गदाधर प्रसाद सिंह—मैं सीखना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आप अपना पोआइन्ट ऑफ आर्डर सीधे रखिये।

श्री गदाधर प्रसाद सिंह—जब कोई भी सदस्य पर्सनल एक्सप्लानेशन के तौर पर बात करते हैं तो किसी व्यक्ति की बात किसी न किसी प्रकार से आ ही जायगी । इस वक्त इसकी इतनी सीमा निर्धारित कर देना हमारे अधिकार के साथ न्याय नहीं होगा, इसलिये मैं न्याय चाहता हूं ।

SPEAKER : I shall read the rule on point of order.

"Any member may at any time submit his point of order for the decision of the Speaker but in doing so he shall confine himself to stating the point."

I do not want any lecture.

यदि श्री राम नारायण चौधरी सिंचाई मंत्री के बारे में कुछ पर्सनल बात कहेंगे तो मैं नहीं कहने दूंगा । आपका पोआएन्ट ऑफ आर्डर गलत है ।

*Shri **MURLI MANOHAR PRASAD** : Sir, I rise on a point of order. May I respectfully say that while the Hon'ble Member may not say anything personal about the Irrigation Minister yet if in making certain allegations he refers to certain incidents and brings allegations he is not entitled to deal with those allegations ?

SPEAKER : The Hon'ble Member is not helping him. The points stated on the last occasion are there. The Minister knows them and all the Hon'ble Members as well know. The points were clearly stated. It is not a new thing. It is no business of mine to stop any Member from speakeing but I am here to reserve order in the House. I hope Shri Ram Narain Chaudhary will be cool enough to accept my advice.

श्री राम नारायण चौधरी—मैं इतना कूल फील कर रहा हूं कि कह नहीं सकता हूं । मैं इंजीनियर और श्री रामचरित्र सिंह के एफेयर में कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—अगर आप सरकार के एक्सप्लानेशन से संतुष्ट नहीं हैं और हर इंजीनियर दूध के धोये हुए नहीं हैं तो आप फूली जस्टीफाइड हैं कि अगर आपके पास फरदर प्रुफ है तो उसे सभा के सामने रखें ।

अध्यक्ष—मेरा फैसला है कि जिस इंसिडेंट के बारे में आप कह चुके हैं और श्री रामचरित्र सिंह कह चुके हैं उस इंसिडेंट के बारे में आप रेफरेंस नहीं दे सकते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी—मैं सदन के सामने बहुत नम्रता के साथ अपने अभिमान की एक बात कहता हूं । आज तक मैंने सिंचाई मंत्री को कौन कहे, चीफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर के पास इस बात के लिये कभी पर्सनली नहीं गया कि मेरा फलां काम पर्सनल है और उसको कर दीजिए । मैं ऐसा तबतक नहीं कर सकता हूं जबतक मेरा सार्वजनिक जीवन है ।

तब तक नहीं कहूंगा जब तक सार्वजनिक जीवन में हूं और जिस दिन ऐसा करते आप पायेंगे तो तुलसीदास जी ने जैसा रामायण में कहा—

" बंचक भक्त कहाए राम के,

किंकर कंचन कोह काम के ।"

मैं ऐसे पाखंडियों में अपना नाम कभी लिखाने को तैयार नहीं हूं। २२ वर्षों से मैं सार्वजनिक क्षेत्र में हूं और मैंने किसी भी मिनिस्टर के पास व्यक्तिगत काम के लिए कभी भी अप्रोच नहीं किया है।

अध्यक्ष—मैं नहीं समझ रहा हूं कि इसके कहने की क्या जरूरत है ।

श्री रामनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने जिले के एक प्रसिद्ध गांव में

जो घटना घटी है उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । वे गांव का नाम आप से आप जान गये होंगे । तो उस गांव में पंचायत का चुनाव हुआ। यह बहुत ही वाइटल इम्पोर्टेंस रखता है । उस गांव में काफी संख्या में हिन्दू और मुसलमान भाई बसते हैं । उस गांव के बहुत से हिन्दू और मुसलमान भाइयों ने मिल कर एक ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए एक मुखिया को खड़ा किया । उस गांव में चुनाव हुआ और उसमें जो धांधली हुई है उसका वर्णन मैं कर देना चाहता हूं । एक बहुत बड़े लोकप्रिय जिनको हिन्दू और मुसलमान सभी लोगों ने मिल कर पंचायत के लिए मुखिया चुना और एक अजीव चीज हुई अध्यक्ष महोदय, ८०० भोट में से साढ़े ६ सौ भोट जिनको मिला वे हार गए और जिनको डेढ़ सौ भोट मिले वे जीत गये । अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजें कांग्रेसी राज्य में घट रही हैं, मैं नहीं जानता इससे प्रजातंत्र की कैसे रक्षा होती है । उस चुनाव में हमारे जिले की एक खास जगह है, उसकी खास चर्चा है और खास अहमीयत है । अब बहुतों के दिल में पंचायत राज्य के चुनाव के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है क्योंकि हारने वाला जीत जाय और जीतने वाला हार जाय । इस बात की गवाही इस सदन के एक सदस्य भी दे सकते हैं जो यहां बैठे हुए हैं और जिनको इसके विषय में पूरी जानकारी है कि किस तरह का यह शर्मनाक वाकया हुआ है । अध्यक्ष महोदय, चुनाव में अगर रिटर्निंग अफसर ने अगर कोई गलती की थी तो उसका मार्जन प्रिसाईडिंग अफ़सर ने किया था और अगर प्रिसाईडिंग अफ़सर ने कोई गलती की तो उसका मार्जन रिटर्निंग अफ़सर कर सकते थे 'लेकिन आपके सेकुलर स्टेट में क्या होता है यह आप स्वयं सोच सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूं कि ताकि सदन के सभी सदस्य अच्छी तरह से जान लें कि इसी सेकुलर स्टेट के सबडिवीजनल ऑफिसर के जजमेंट की सर्टिफायड कापी, अगर हमें इसे उपस्थित करने की आज्ञा मिली तो सदन के सामने उपस्थित कर सकते हैं। सबडिवीजनल ऑफिसर ने रिपोर्ट में लिखा है कि १५ गवाही मुसलिम...... और चुनाव को रद्द कर दिया । कहिये, यह राज्य चलने को है ? इस तरह गलत ढंग से जजमेंट देकर वहां के चुनाव को रद्द कर दिया गया और ऐसे आदमी को चुना गया जो हार गये थे । मैं इस चीज को अच्छी तरह जानता हूं, अगर नहीं जानता तो इसे इस सदन के सामने रखने की धृष्टता मैं नहीं करता ।

एक और उदाहरण में मेधौल ग्राम का देना चाहता हूं। एक अफ़सर ने एक आदमी के नाम को रिजेक्ट करके गलत तरीके से दूसरे आदमी को चून लिया। रिप्रेजेंटेशन दिया गया और वह चुनाव तोड़ दिया गया। चुनाव के लिए फिर तारीख दी गई, उस दिन भी चुनाव नहीं कराया गया। उसके बाद ४-५ रोज होता है तारीख निश्चय किया गया, लोगों ने नोमिनेशन फाइल किया लेकिन जानबूझ कर ऐसा प्रबंध किया गया कि ४-५ बजे तक भी इसका स्कुटिनी नहीं हुआ, फिर चुनाव रोक दिया गया। इसका मतलब यह है कि वहां का चुनाव हो ही नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव को लेकर धांधली इस तरह हो रही है जिसे सरकार जाने और जाने उनके कर्मचारी और अफ़सर।

अध्यक्ष महोदय, आज एक बात जिसकी चर्चा दिल्ली में जोरों से हो रही है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं, उसके संबंधित मंत्री भी यहां उपस्थित हैं इसलिए इसे मैं रखना चाहता हूं। दिल्ली में बिहार हाउस खुला है और दिल्ली में इसकी चर्चा है कि बिहार शायद सोवरेन स्टेट अपने को डिक्लेयर करने वाला है और वहां कोई एम्बैसी बहाल होने जा रहा है। हाउस का किराया प्रति मास ७०० रुपया है, उसमें फर्स्ट क्लास मोटरकार है, हाउस सर्वेंट फ्री है, कुक जो किसी एक्स महाराजा का कुक था उसमें रखा गया है, साथ ही दिल्ली में इसकी बहुत जोरों की चर्चा है कि इसके लिए एक अफ़सर भी बहाल होने वाला है जिसका वेतन क्रम ८०० रु० से १,२०० रु० तक होगा। हमारे पास यही इंफार्मेशन है। मैं चाहता हूं कि पूरे हाउस को इसकी खबर मिले : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात इस पोस्ट के विषय में यह है कि इसकी बहाली पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होनी चाहिए थी लेकिन जहां तक हमें पता चला है कि डिपार्टमेंट में ही इसके बारे में बात तय होने वाली है और पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने यह चीज नहीं आने वाली है। यह चमकदमक अशोक के राज्य में, और जो बिहार सादगी में विश्वास रखता था, जो धर्म की बात पर अटल था और जहां हमारे मुख्य मंत्री हैं जिनकी सादगी सभी को मालूम है, राजेन्द्र बाबू जो इसी बिहार के हैं शायद आज यह समझा जा रहा है कि बिहार का इतना प्रचार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए और इसीलिए आपने अपने उज्वल कीर्ति का ध्वजा दिल्ली में गाड़ कर यह दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कीर्ति यहां नहीं दिखाई पड़ती है आज, वहां ७०० रुपए प्रति मास किराये पर मकान लेकर और उसके लिए एक कलक्टर के रैंक का अफ़सर जिनका वेतन ७०० से १,२०० रु० है, दिल्ली में इंतजाम किया जा रहा है। इस तरह आप अपने उज्ज्वल कीर्ति को विस्तार करना चाह रहे हैं।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष महोदय, एक हिन्दुस्तान समाचार पत्र है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार उस पर कितना हजार रुपया हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी को प्रचार के लिए देती है और उसके बदले में सरकार का काम क्या होता है। क्योंकि अभी जो बिहार के पत्र हैं उनका मंत्रिमंडल के लोगों के प्रति रूख खराब नहीं है। उनमें काफी पब्लिसीटी होती है। फिर भी हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी कई हजार रुपया, जिसकी संख्या मुझे पता नहीं है, सरकार देती है और उसका बदला क्या मिलता है, मिनिस्टर साहब बतावेंगे। दिल्ली में, हमारे एक मित्र कहते थे कि बिहार का कोई भी समाचार नहीं मिलता है। हम लोग बिहार के समाचार से ब्लैक आउट की तरह

रहते हैं। जो समाचार एजेन्सी हिन्दुस्तान भर के लिए है, वह बिहार का भवन पताका वहां तक नहीं पहुंचा सकता, तो उस एजेन्सी पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है। इसलिए इस बिल के जरिये हम उस पर होने वाले खर्च का विरोध करते हैं।

श्री रामानन्द उपाध्याय—मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय यहां चेयर पर मौजूद हैं लेकिन चौधरी जी बार बार अध्यक्ष महोदय कह कर संबोधित करते हैं। यह अनुचित है। उनको उपाध्यक्ष कहकर चेयर को संबोधित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य स्वयं सावधान नहीं रहते। किसी सदस्य ने इस ओर उनका ध्यान दिलाया है और वे उपाध्यक्ष कह कर संबोधित भी किए हैं। अध्यक्ष कहना या उपाध्यक्ष कहना प्वायन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। माननीय सदस्य प्वायन्ट ऑफ आर्डर को रेज करने में स्पेशलिस्ट हो गये हैं। लेकिन इसमें प्वायन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। आशा है कि श्री रामनारायण चौधरी अपना भाषण संक्षेप में समाप्त करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी—तो एक बात इन्फार्मेशन मिनिस्टर से मैं कहना चाहता हूं। इस विभाग में पोस्टर जो छपता है वह एक फिक्टीसस प्रेस में छपता है। वह एक पंजाबी प्रेस है और उसकी छपाई कानपुर में होती है। यहां का सिर्फ नाम रहता है। और भी इस विभाग के जो कागज छपते हैं वे कलकत्ते में छपते हैं। जो यहां ३०-४० रुपये में काम होना चाहिए वह कलकत्ते में १०० रुपये में होता है। क्यों इस तरह सरकारी रुपये की बरबादी होती है। मिनिस्टर साहब बतलावेंगे। मैंने हमेशा सिंचाई मंत्री, सूचना मंत्री और ग्राम पंचायत मंत्री का ध्यान उनके विभाग में फैले हुए शिकायतों की तरफ आकृष्ट किया है।

*श्री राणा शिवलखपत सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्रिमंडल का ध्यान राज्य में फैले हुए भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाहता हूं। मैंने बार-बार, जब भी मुझे मौका मिला है बोलने का, इस बात का जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि इस राज्य में जो भ्रष्टाचार है वह मंत्रिमंडल की कमजोरी की वजह से है और इन्हीं चीजों को मैं फिर आपके सामने दोहराता हूं। जैसे मनुष्य का शरीर बुढ़ापे की वजह से शिथिल पड़ जाता है उसी तरह हमारे शासन की हालत है। आप एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट खोले हुए हैं। लेकिन आप स्टेशन पर जाइये, थाने में जाइये, कचहरियों में जाइये, भ्रष्टाचार को खोजना नहीं पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार इन जगहों में मिल जायगा। इस राज्य में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया है और उसमें कहां तक सफलता मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जानते आपने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है। जब हम भ्रष्टाचार की बातें आपके अफसरों के सामने रखते हैं तो वे सुनकर चुप रह जाते हैं और वे कोई कारवाई नहीं करते हैं। ऐसी घटनाएं बराबर होती हैं। इसका जिक्र हमने मंत्रियों के सामने बराबर किया है। मंत्रीलोग इस पर कुछ नहीं करते हैं। यह कमजोरी अफसरों की नहीं है, मंत्रियों की यह कमजोरी है कि जिनके चलते भ्रष्टाचार दूर नहीं होता है। अगर शासन-सूत्र इसको हटाने के लिए कटिबद्ध हो जाय तो यह महीने दो महीने में दूर हो सकता है।

भ्रष्टाचार चारों तरफ बढ़ती ही जा रही है। इसका कुछ उदाहरण में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हाल ही में बाढ़ म्युनिसिपैलिटी में घाट निलाम हुआ था। वह घाट प्रत्येक साल ५० हजार में निलाम होता था, वह इस साल सिर्फ १५ हजार में निलाम हुआ है। इस नीलामी में काफी गोलमाल किया गया है। इसके डाक बोलने का समय ९ बजे निर्धारित किया गया था लेकिन निश्चित समय के पहले ही घाट नीलाम कर दिया गया। इसके लिये चारों तरफ तार दिया गया मगर कहीं से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दूसरा उदाहरण में पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का देता हूं। वहां का भी सब घाट नीलाम किया गया। इसमें भी डाक बोलने वालों को चेयरमैन ने डाक बोलने से वंचित कर दिया। यहां का घाट भी हर साल १ लाख में नीलाम होता था वहां इस साल ३५ हजार में ही नीलाम कर दिया गया है। चेयरमैन से पूछने पर उन्होंने बतलाया कि गांव वालों से उनको झगड़ा है इसलिये उन्होंने ऐसा किया है। जगत बाबू नाम के उस नीलाम को लेने को तैयार थे मगर उनको नहीं दिया गया: इस तरह धांधली हो रही है। जब हम लोग माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं तो वे कहते हैं कि यह कचहरी की चीज है केवल एक साल के लिये सेट्लमेन्ट की जाती है और जब तक मुकदमा लॉ कोर्ट में पड़ा रहेगा उसी के अन्दर एक साल की अवधि निकल जायगी। यह भी संभव नहीं है कि आदमी हर बात के लिये कचहरी का शरण ले। हम लोग प्रश्न के द्वारा सरकार का ध्यान किसी विषय पर आकृष्ट करते हैं लेकिन उनका ध्यान आकृष्ट नहीं होता है।

बी० बी० लाइट रेलवे की जो आजकल हालत है वह आपसे छिपी नहीं है। औडिटर ने डेढ़ सौ पेज की रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि किस तरह से इसके फंड्स की दुर्दशा की जा रही है। लेकिन कोई ऐक्शन उस रिपोर्ट पर नहीं लिया जाता है। प्रश्न पूछने पर कह दिया जाता है कि ऐक्शन हो रहा है। भगवान जाने की आकाश में पाताल में वह ऐक्शन हो रहा इस रेलवे की हालत इतनी बदतर हो गयी है कि जहां पहले पूरी गाड़ी चलती थी वहां अब सिर्फ दो ही डब्बे चला करते हैं। अब उस इंजन में उन दो डब्बों को खींचने की ताकत भी नहीं रह गयी है। ऐसी हालत में आप उसे कर्ज पर कर्ज देते जा रहे हैं इससे मैं समझता हूं कि सरकार शिथिल होती जा रही है, जो लोग इसमें हैं वे काम नहीं करते हैं इसलिये हम बेवश हो जाते हैं। सबसे बड़ा ज्वलन्त उदाहरण यह है कि यह सरकार में डेमोक्रेसी है या क्या है, समझ में नहीं आती।

पटना जिला में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहाली के लिये १९५१-५२ में विज्ञापन निकाला गया। उस पर दर्खास्तें आयीं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना रिकोमेंडेशन भी भेज दिया लेकिन आज तक किसी की बहाली नहीं हुई और तीन वर्षों से पुराने ही पी० पी० के टर्म को बढ़ाया जा रहा है। यह तो हमारे सामने ऐसा मालूम होता है कि सरकार के सामने न कोई कायदा है, न कोई कानून है और न कोई न्याय है। यह सरकार कैसी है, यह किसी खास पार्टी की सरकार है, या किसी खास ढंग की सरकार है, पता नहीं लगता।

अब मैं जमीन्दारी एबोलिशन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे इलाके में जिन-जिन गांवों में सरकार ने जमीन्दारी ले ली है वहां जो कर्मचारी काम करते हैं उन्होंने पुराने जमीन्दारों के पटवारियों और गुमास्तों को भी मात कर दिया है। अगर जमीन्दारों के कर्मचारी कदुआ लिया करते थे तो आपके कर्मचारी आज सब कुछ ले लेते हैं। हमारे इलाके के २-३ गांवों में कुछ जमीन्दारियां ले ली गई

हैं। उस गांव में लोकल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्दर कुछ हरिजनों के लिये मकान बनाना था। वहां अंचलाधिकारी कचहरी की जमीन नापने के लिये गये। एक आदमी दौड़ कर आया और कहने लगा कि आप हमारा मकान नाप रहे हैं। हमें खबर मिली और मैं भी वहां गया और अंचलाधिकारी से बातें की। उन्होंने कहा कि यह कचहरी की जमीन है। बहुत से लोग जमा हो गये और सबों ने एक स्वर से कहा कि यह जमीन अमुक आदमी की है और यह उसका मकान है उसको कचहरी से कोई वास्ता नहीं है। अंचलाधिकारी ने एक रिपोर्ट एस० डी० ओ० को दिया और किसी तरह गोलमाल करके उस मकान का बिल पास करा लिया। इस तरह की धांधली आपके कर्मचारी कर रहे हैं। आजकल जहां पर कर्मचारी हैं वहां के लोगों की जो दुर्दशा हो गयी है वह वर्णन के योग्य नहीं है। कर्मचारी लोग उस इलाके के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को अपनी ओर मिला लेते हैं और निरीह जनता को तरह तरह से तंग किया करते हैं।

इस राज्य में जातीयता बहुत व्यापक रूप से फैल गया है। सरकारी नौकरियों में बहाली, तरक्की तथा बदली करने के समय इन चीजों का ख्याल किया जाता और हालत ऐसी हो गयी है कि आज सरकार का सब काम जात-पांत के हिसाब पर चल रहा है और इस तरह आम जनता भी कास्ट माइन्डेड हो गयी है और यह बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।

श्री राम चरित्र सिंह—बीमारी की दवा क्या है?

श्री राणा शिवलखपत सिंह—"महाजनों जेन गतः स पंथा," यही दवा है। आप

सही रास्ते पर चलें तो जनता आपके बताये रास्ते पर चलेगी।

लेकिन आज मैं छिपाना नहीं चाहता हूं इस बात को कि अधिकांश लोग चाहे कांग्रेसी बेंच के हों चाहे दूसरे बेंचों के हों इस बीमारी से बीमार हैं और हम को इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। हमारे अकील साहब ने बताया है कि ऐसे लोग जिन्होंने जेल खाने का मुंह तक नहीं देखा कभी, कभी किसी कौमी मूव्हमेन्ट में पार्टीसीपेट नहीं किया उनको २ हजार और ४ हजार पोलीटिकल सफरर कहकर मिला है और बहुत ऐसे हैं जो सन् १९२० से १९५४ तक लगातार कौम के साथ रहे हैं और पांच-पांच सात-सात बार जेलखाने में रह चुके हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया गया है। ये दो चीज कंट्राडिकटरी आपके सामने है और इसका असर लोगों पर बहुत बुरा पड़ता है। वे समझते हैं कि इन चीजों के देखने के लिए आपके पास दो स्केल है, एक वह जिससे आप उनको मापते हैं जिनमें आप इंट्रेस्टेड रहते हैं जिनके लिए आपके दिल में जगह रहती है और दूसरा वह जिससे उनको मापते हैं जिनसे आपको कोई संबंध नहीं रहता, जिनसे आपको कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि आज पोलीटिकल सफरर लोगों को इतना रुपया देने के बाद भी लोगों में संतोष नहीं है और वह आपके और हमारे खिलाफ हैं। जैसा अकील साहब ने बताया २५ लाख रुपया आप इस मद में देने जा रहे हैं और इस तरह से अगर यह रुपया देना जारी रहा तो दुरुपयोग इसका होगा। अगर आप चाहें तो मैं ५० नाम ऐसा दे सकता हूं अभी ऐसे लोगों का जिन्होंने नेशनल मूव्हमेन्ट में कोई काम नहीं किया, कभी जेल खाने नहीं गये लेकिन पांच-पांच हजार रुपया उनको दे दिया गया है।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को समय की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री शिवलखपत सिंह—इसीलिए तो मैं केवल प्वायंट्स का रेफरेंस देता हूं। मैं फिर भी आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि देश में जो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके संबंध में मैं अपने मंत्रिमंडल के लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी कमजोरी जो दिखलाते हैं इन मामलों में इसी वजह से यह भ्रष्टाचार नजर आता है। आज आप मजबूत बन जायं तो भ्रष्टाचार विलीन हो जायगा।

अन्त में प्राहीबीशन का प्रश्न मैं आपके सामने रखकर समाप्त कर देता हूं। मैंने आपके सामने यह रखा है कि इसको हम कांग्रेसी राज कहें या नहीं कहे। गांधी जी हम लोगों को कुछ सिद्धान्त बता गए और जहां तक प्रोहीबीशन का सवाल है ट्रेजरी बेंच पर या इधर जितने लोग बैठे हैं उनमें अधिकांश इसी प्रोहीबीशन को लेकर जेलखाने गए; लेकिन आज ८ साल के शासन के बाद हम लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम एक कदम भी हम गांधी जी के बताये हुए काम को करने में आगे बढ़ें तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि यह ऐसी चीज है जिसके लिए गांधी जी ने आन्दोलन छेड़ा और इतने बड़े देश में इतने लोग जेलखाने गये।

हमने जो कुछ कहा है वह कंस्ट्रकटिव्ह क्रीटिसिज्म करने के ख्याल से कहा है जिसमें उन्नति हो; नहीं तो आज जो हो रहा है देश में उससे देश और समाज दोनों के लिए बहुत अहित होगा और हम तरक्की करने के बजाय पीछे चले जायेंगे।

*श्री सियाराम सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आज इस जेनरल डिस्कशन के समय जब श्री रामनारायण चौधरी बोल रहे थे तो उस समय हाउस में गरमी आ गई थी;।

उपाध्यक्ष—एप्रोप्रियेशन विल के समय।

श्री सियाराम सिंह—हां, एप्रोप्रियेशन विल के ही समय। पता नहीं यह गर्मी क्यों आई; लेकिन जब कभी इरिगेशन डिपार्टमेन्ट का जिक्र आता है तो माननीय मंत्री कुछ फूल से जाते हैं। लेकिन सचमुच अगर इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की बातों पर गौर किया जाय तो यह समझ में नहीं आता कि ये बातें कहां जाकर लगती हैं। दक्षिण बिहार की सिंचाई के संबंध में सरदार हरिहर सिंह ने कई बार इस सदन में कहा परन्तु दक्षिण बिहार में अभी तक कोई स्कीम देखने में नहीं आई। हां, इंव्हेस्टीगेशन की बात हम बराबर सुन लिया करते हैं। एक बुकलेट छपा और उसमें कुछ स्कीमों के बारे में लिखा था और यह कहा गया था कि प्राइमरी इंव्हेस्टीगेशन हो रहा है। इस बार भी बजेट पर भाषणों के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने कई स्कीमों का नाम लिया जिनके बारे में यह कहा कि उनकी जांच हो गई है और उनको शीघ्र कार्यान्वित करने की चेष्टा की जा रही है। कभी-कभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि शीघ्र का अर्थ माननीय मंत्री क्या लगाते हैं। वह कहते हैं कि शीघ्र का अर्थ है जल्द और जब पूछा जाता है कि जल्द का अर्थ क्या है तो वे कहते हैं कि जब काम होगा तो वही जल्द का अर्थ होगा। दक्षिण बिहार में एक छोटा सा जिला हमारा मुंगेर का पड़ता है।

इरीगेशन डिपार्टमेन्ट पर बोलते हुए राम चरित्र बाबू ने यह कहा था कि इरीगेशन डिपार्टमेन्ट के नक्शे में पूर्णिया जिला नहीं है। उसी प्रकार इस विभाग के नक्शे में हमारा मुंगेर जिला नहीं मालूम होता है। जब डेवलपमेन्ट या इस इरीगेशन के काम का नाम आता है तो पटने जिले से कुछ हिस्सा लेकर और बरबीघा के कुछ हिस्से को लेकर एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट जो खोल दिया गया है उसी का नाम लिया जाता है। इसी तरह से जब इरीगेशन का नाम लिया जाता है तो सकरी प्रोजेक्ट का नाम लिया जाता है जिसमें गया और मुंगेर के कुछ हिस्से को लिया गया है। मेरा तो ख्याल है कि पटना और गया से कुछ हिस्सा उबरता है तो उसको मुंगेर के हिस्से में दिया जाता है और इस तरह से उस स्कीम को मुंगेर के नाम पर किया जाता है। वाटरवेज डिवीजन के अन्दर मुंगेर जिले में तीन स्कीम लिये गये हैं, पहला सकरी, दूसरा गिद्धेश्वर, तीसरा बेलिया बांध जिनमें से इस साल तो सकरी और गिद्धेश्वर स्कीम वहां के लोगों को सिंचाई के लिये पानी देने में फेल कर गये हैं। बेलिया बांध से कुछ सिंचाई का काम हुआ है लेकिन वह इतना नहीं है जिससे वहां के लोगों को कुछ फायदा हो। हमारे सिंचाई मंत्री तो एक्सपर्ट की राय से गाइड होते हैं और वे कहते हैं कि वे इंजीनियर की भाषा बोलते हैं, वे इंजीनियर की आंखों से देखते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि कभी-कभी इंजीनियर की आंखें भी फेल कर जाती हैं। जब हम लोग एक्सपर्ट की राय को फेल होने की बात कहते हैं तब वे मौन हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे जानते सकरी स्कीम की जांच ठीक से नहीं की गयी थी। इसका ख्याल नहीं किया गया था कि पानी का बहाव इतना र गा कि नहीं कि जरूरत पड़ने पर उससे सिंचाई का काम लिया जा सके। यही हालत गिद्धेश्वर पैन की भी है। अब वहां पर डैम बनाने की बात कही जाती है। डैम बने, यह एक अच्छी बात है लेकिन खूब सोच विचार कर तब काम हो जिसमें आगे चल कर स्कीम फेल न कर जाय। हमारे सिंचाई का इंतजाम हो तो काफी अन्न पैदा हो सकता है।

हमारे यहां तीन तरह की जमीन है, एक ताल की जमीन, दूसरी दियारा और तीसरी धान की और इनके बारे में हाउस में समय-समय पर कहा गया है। हम लोग कई बार मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। ताल में तो पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर है और उससे सिंचाई का काम अच्छी तरह से लिया जा सकता है। लिफ्ट इरीगेशन के पानी से सिंचाई का काम ले सकते हैं। अभी जहां-जहां पर ताल है वहां पर लाखों मन भदई की फसल हो सकती है। हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है कि ताल से तो आप एक ही फसल ले सकते हैं। मैं अपने मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि इस ताल की जमीन से दो फसल मजे से लिया जा सकता है। कोई भी ताल ऐसा नहीं है जहां पर थोड़ी सी वर्षा होने से ही पानी जमा नहीं हो जाय और उसकी जमीन पानी में डूब न जाय। जब जमीन पानी में डूब जायगी तो उस जमीन से हमलोग आसानी से दो फसल ले सकते हैं। मैं भी एक किसान का लड़का हूं और अपने तजुरबे से इस बात को मैं कह रहा हूं। भदई के कटने पर और पानी के निकल जाने पर वहां रब्बी की फसल भी हो सकती है। दूसरा इलाका दियारा का है। यहां पर हर साल बाढ़ आती थी लेकिन इधर पानी नहीं होने से बाढ़ कम आती है। अब वहां पर सिंचाई का इंतजाम होने से ही रब्बी की भी फसल हो सकती है। इसके बाद तीसरा इलाका धान का है। दक्षिण बिहार में इस इलाके में कहीं पर सिंचाई का इन्तजाम नहीं है। सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन में दो चार स्कीमों का जिक्र है लेकिन वे कब कार्यान्वित होंगे, इसका पता नहीं है। सिंचाई का इन्तजाम

नहीं होने से और वर्षा के अभाव में वहां पर सूखार होता है और इसके चलते लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। सूखार पड़ने पर आप रिलिफ बांटते हैं और तकावी लोन देते हैं लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। वह समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है। इसलिये मैं अपने सिंचाई मंत्री से बड़े अदब से कहूंगा कि वे इस इलाके की ओर अपना ध्यान दें।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि तारापुर और खरगपुर थाने में एक बांध बांध देने से १० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई का इन्तजाम हो सकता है और दोनों थानों की खेती का काम इससे चल सकता है। इसके बाद यह कहा जाता है कि हनुमान और बलिया स्कीम को सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन में शामिल किया गया है लेकिन इनको कब कार्यान्वित किया जायगा, यह मालूम नहीं है। इसको कार्यान्वित करने की जो अवधि है वह बहुत ही लम्बी अवधि है और इतने समय के लिये वहां के लोग हाहाकार करते रहेंगे। हमारे जिले के जमुई के इलाके में तीन महीने के खाने लायक अन्न पैदा होता है और बकिये ९ महीने के लिये वहां के लोगों को झरिया में जाकर कोयला के खानों में काम करना पड़ता है या कलकत्ता में जाकर मोटा ढोना पड़ता है और इस तरह से रुपया कमा कर वे अपने खाने का इंतजाम दूसरी जगहों से अन्न खरीद कर करते हैं।

अब मैं कुछ जंगल विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। पहले लोग जंगल से लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेच कर अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन जब से जंगल को सरकारी निरीक्षण में ले लिया गया है तब से सरकारी अफसरों की धांधली बहुत बढ़ गयी है और जंगल इलाके के लोग तबाह हो रहे हैं।

जंगल विभाग के अफसरों की ऐसी हरकतें हैं कि लोग जंगल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अब तो जंगल में प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इस विभाग का जो रवैया है उससे मालूम पड़ता है कि जंगल दो-चार वर्षों में उजड़ जायगा। जंगल विभाग के अफसरों ने कूप के द्वारा जंगल की तरक्की की बात सोच रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके के जंगलों को देखने से मालूम पड़ता है कि इनका कूप के जरिए जंगल लगाने के काम में कोई तरक्की नहीं है। जंगल विभाग के जो लोग जंगल लगाने का काम करते हैं उसको देखने से मालूम पड़ता है कि वे लोग एक तमाशा कर रहे हैं। अगर इस विभाग की रवैया नहीं बदली और जंगल विभाग के मंत्री नहीं चेतेंगे तो जंगल उजाड़ और बरबाद हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि तारापुर थाने का हेडक्वाटर है, लेकिन वहां अस्पताल नहीं है। तारापुर एक केन्द्रीय जगह है। यह अमरपुर, भागलपुर और मुंगेर के बीच में पड़ता है। यहां पर अस्पताल के लिये एक प्रश्न भी मैंने किया था लेकिन उसका समुचित उत्तर नहीं दिया गया। इसलिए मैं मेडिकल मिनिस्टर से अर्ज करूंगा कि वहां एक अस्पताल बना दें। दूसरी बात मैं मेडिकल मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि लक्खीसराय सबडिवीजन का मुकाबला करना है। वहां भी अस्पताल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अस्पताल है उसको सरकार अपने कब्ज में कर ले और उसको प्रोविन्सीयलाइज कर दे।

अब मैं पी० डब्ल्यू० डी० के निर्माण कार्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुंगेर रोड जो है उसमें लाखों-लाख रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा सड़क नहीं है जो रेलवे जंक्शन से मिल जाय। हम तो समझते

कि शायद सरकार इस पर सोंचती भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बरैया से मुंगेर जाने वाली जो सड़क है उसके रेलवे जंक्शन से मिला दिया जाय। अब मैं कहना चाहता हूं कि कचरा रोड जो किउल तक गयी है उसको सरकार अपने अधीन कर ले। कचरा सड़क को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यह समझती है कि पी० डब्ल्यू डी० ने ले लिया है और वह चुप बैठी है और कुछ भी मरम्मत नहीं करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस सड़क को अधीन कर ले और इस सड़क को बना दे। दक्षिण बिहार में पहाड़ होने की वजह से इस पार से उस पार जाना मुश्किल होता है और सड़क नहीं बनने से लोगों को बहुत तकलिफ उंठानी पड़ती है इसलिए सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

मैं मेडिकल मिनिस्टर साहब का ध्यान एक सरजन की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक सरजन जिस पर चार लाख रुपया खर्च करके विदेश भेजा गया था और वह अब लौट आये हैं। लेकिन जिस अस्पताल में वह हैं वहां न बेड का इन्तजाम है और न उनके जिम्मे कोई काम है। इसलिए वह अब बाहर जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार वहां उनके लिए कोई प्रबन्ध करे जिसमें वे वहां रहें। मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं।

*श्री मुन्द्रिका सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जी एप्रोप्रिएशन बिल पर वादविवाद

चल रहा है उसमें अर्थ मंत्री ने ७९ करोड़ रुपये की स्वीकृति मांगी है। आज जो प्रान्त की स्थिति है उसको देखने से यह मालूम पड़ता है कि इस रकम की स्वीकृति न दी जाय। हमारे राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाया जाय इस पर हमको सोचना है। जो रुपया खर्च के लिए दिया जाय उसका अगर सदुपयोग हो और दुरुपयोग में खर्च न किया जाय तो ठीक है। इस खर्च से अगर राज्य की लाभ हो, गरीबी दूर हो तो इस रकम की स्वीकृति देने में कोई उज्र नहीं मालूम होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर इस कसौटी पर कस कर आप देखें कि जो रकम की मांग की गयी है उसमें कहां जायज है और कहां नाजायज है और इससे राज्य की भलाई हो सकेगी या नहीं, तो स्वीकृति देने में कोई उज्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का अधिक काम प्रान्तों के ही जरिए हुआ करती है। अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाय और पर कैपिटा इनकम के लिहाज से विचार करें तो हमलोगों का इनकम कम है। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह प्रान्त धनी है। वह यह है छोटानागपुर के प्लेटो में अनेकानेक रत्न भरे पड़े हैं और गंगा के इलाके में जो भूमि है वह बहुत उपजाऊ है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाय तो हमारे प्रान्त की चार करोड़ की आबादी है जिससे श्रमिक का सवाल नहीं उठता है और हमारे यहां श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। अगर सभी दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह बिहार प्रान्त धनी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां के रहने वाले गरीब हैं। अब एक-एक चीज को देखेंगे तो पायेंगे कि यहां के लोग गरीब हैं। कृषि को को ही ले लें। सबसे ज्यादे नेशनल इनकम कृषि की है, जो ९१२ करोड़ है और उसमें फैक्ट्रियों की आमदनी ५५० या ५४० है यानी तुलनात्मक दृष्टि से भी यह कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब मैं इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज देखने में आता है कि शहरों की जनसंख्या १३.९ है। लेकिन गांव में भी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं यानी ७५ प्रतिशत लोग वहां रहते हैं। वे लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए कृषि के काम को आगे बढ़ाना जरूरी है। इस ऐप्रोप्रिएशन बिल में ४०४

करोड़ कृषि के लिए रखा गया है। मैं मानता हूं कि कृषि के अन्दर जो कुछ काम हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और सराहनीय है। मध्यम सिंचाई योजना का जो काम हो रहा है उससे हम भूमि की उपज ज्यादा नहीं कर सकते हैं। विहार प्रान्त में आज बहुत लोग भूमि पर निर्भर कर बैठे हुए हैं। सारे हिन्दुस्तान की जो प्रति मील आवादी है उसके लिहाज से २९६ प्रति माईल विहार ज्यादा है यानी कई गुणा ज्यादा है। इस तरह से भूमि का बोझ यहां ज्यादा है और उत्पादन बहुत कम है। हमारे प्रान्त में ६९० प्रति एकड़ चावल का उत्पादन होता है। फिर भी सारे हिन्दुस्तान के लिहाज से यह कम है। दूसरे प्रान्त में इससे बहुत ज्यादा है। हमारे प्रान्त की उपज अन्य प्रान्तों के मिलान से चावल और गेहूं की उपज कम है। ट्रावनकोर-कोचीन को छोड़ दीजिए क्योंकि वह इससे छोटा प्रान्त है। यहां पर सिवा उत्पादन बढ़ाने के गरीबी को दूर करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने से ही यहां सर्वांग उत्थान हो सकता है। यहां पर मध्यम सिंचाई योजना से काम हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक ढंग पर काम करने के लिए कोई छानबीन नहीं किया जा रहा है। यह मध्यम योजना से जहां काम होना चाहिए वहां तो नहीं हो रहा है लेकिन जहां नहीं होना चाहिए वहां किसी खास कारणवश नहीं हो रहा है। इसके लिए जरूरत है अच्छे बीज की। किसान लोगों को जहां कम मूल्य में अपने ही गांव से अच्छा बीज मिल जाता है वहां ज्यादे दाम में सरकार की तरफ से बीज मिलता है। जिनके पास बहुत ज्यादा खेत हैं और ट्रैक्टर्स हैं वे तो अपनी खेती ठीक से कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास छोटे-छोटे खेत के टुकड़े हैं और जो किसान गरीब हैं वे कैसे अपनी खेती की उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास पूंजी भी नहीं है वे यंत्र लेकर खेती कर सकें और उसके उत्पादन को बढ़ावें। इसलिए सरकार की जवाबदेही है कि इसमें सुधार हो।

सरकार की जवाबदेही है और खास कर कृषि विभाग की जवाबदेही है कि आज जिन औजारों से खेती की जा रही है उनमें छान-बीन करके उन्नति करें। बीज देकर समुन्नति करें, औजार देकर समुन्नति करें। जब खेतों के टुकड़े होने से उत्पादन नहीं बढ़ सकता है, लार्ज स्केल फार्मिंग नहीं हो सकती है तो टुकड़ों को मिलाना चाहिये। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के जरिये हो या को-ऑपरेटिव फार्मिंग के जरिये हो। मैं मानता हूँ कि इसके कई तरीके हैं पहला तरीका यह है कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग को रोक सकते हैं, दूसरा है को-आपरेटिव फार्मिंग और तीसरा है कलेक्टिव फार्मिंग यही तीन नियम हैं जिनसे उत्पादन बढ़ सकता है। कलेक्टिव फार्मिंग बड़े-बड़े लोग कर सकते हैं और मैं मानता हूँ कि इससे उत्पादन बढ़ेगा। इसकी ओर और लैंड पालिसी जो सरकार की हो रही है इसकी ओर कुछ इशारा महामहिम राज्यपाल ने भी अपने भाषण में किया था। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यही ईमानदारी का समाधान है कि बड़े-बड़े फार्मिंग करनेवाले को सरकार जमीन छोड़ दें। मैं मानता हूं और इससे सहमत हूँ कि अगर कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रैगमेंटेशन को रोकना होगा, खेतों को जोड़ना होगा और बड़े पैमाने पर खेती करनी होगी। विज्ञान की मदद से जमीन को तोड़-फोड़कर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं लेकिन फ्रेगमेंटेशन के अभिशाप से बचाने के लिये सारे प्रान्त की जमीन को मुट्ठी भर लोगों के हाथ में छोड़ना चाहते हैं और इसे उत्पादन बढ़ाने का बहाना बनाते हैं यह कहां तक न्याय-संगत है। यह पंच-वर्षीय योजना में भी यह बात है और कांग्रेस के अन्य प्रस्तावों में भी इसकी चर्चा है कि अच्छे बीज का वितरण होगा, औजार की

उन्नति होगी और लोगों को देने में व्यवस्था की जायगी जिसमें उत्पादन बढ़े और सबके साथ न्याय हो और लोगों में सामान्य वितरण का समाधान हो तो क्या सामान्य वितरण का मानी यही है कि आप लोगों की आंख में धूल झोकने के लिये एक सुहावना चित्र सामने रखना चाहते हैं कि हजार दो हजार बीघे जमीन को कुछ लोगों के हाथ में छोड़ देंगे। यह जो कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करें तो मैं कहता हूँ कि नीचे स्तर के जो किसान हैं उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि बिजली से पानी निकाल सकें, और बड़े-बड़े ट्रैक्टर लेकर बड़े पैमाने पर फार्मिंग कर सकें इसलिये हजारों हजार बीघे खेती करनेवाले जो लोग हैं उनको आप छोड़ने वाले हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग और जमीन के बिखरे रूप को को-ऑपरेटिव फार्मिंग के जरिये पंजाब की तरह कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग के रूप में इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। क्या आप हजारों हजार एकड़ जमीन लेकर जो बैठे हुए हैं उनसे जमीन लेकर इकनामिक होल्डिंग बनाकर विलेज को-ऑपरेटिव फार्मिंग में परिणत कर गांव वाले को लाभ नहीं पहुँचा सकते हैं और फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग के अभिशाप से नही बचा सकते हैं। क्या लार्ज स्केल एग्रीकल्चर फार्मिंग या को-ऑपरेटिव फार्मिंग के जरिये आप भूमिहिनों को जमीन देकर फायदा नहीं पहुँचा सकते हैं। तीन एकड़ जोतने वाले जो किसान हैं उन्हें आप जमीन देकर इकनौमिक होल्डिंग में परिणत करेंगे तो क्या वह नहीं लेंगे। यह सब कुछ हो सकता है लेकिन इसके लिये ईमानदारी होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कहां तो उत्पादन बढ़ाने की बात होती है, भूमिहीनों को जमीन देने की बात होती है और दूसरी ओर बटाईदारी का बिल लाकर सारे प्रांत में यह गोहार कर दिया जाता है कि हम कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि माइनरों को या डिसएबल्ड परसन्स को या विधवाओं को अपने खेत को सबलेट करने का अधिकार देंगे। मैं यह नहीं कहता कि अधिकार होना चाहिये बल्कि इसका मतलब यह है कि यह बिल ऐसा व्यापक बनाया गया है कि सारे प्रांत में कुहराम मच गया है कि जमीन छीन जायगी। कहां तो पहले यह था कि बटाईदारों को जमीन देने जा रहे हैं इसलिये कि जमीन के मालिक जमीन को आज राम को देते हैं, कल श्याम को और परसों मोहन को देते हैं इसलिये उन्हें जमीन से दिलचस्पी नहीं रहती हैं और वे न कूंआं खोदते हैं और न दूसरा कोई काम ऐसा करते हैं जिससे उत्पादन बढ़े। इसलिये कानून के जरिये हम इस चीज को रोकेंगे लेकिन आज वह बिल प्रवर समिति के स्टेज में पड़ा हुआ है और न जाने कब तक खटाई में फुलता रहेगा। इसका नतीजा यह हुआ है जो सबको मालूम है कि बटाई-दारी बिल के भूत की वजह से हजारों बटाईदारों से जमीन जो उनकी जीविका थी छीन ली गई। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप इस बिल के द्वारा बटाईदारों की भलाई करना चाहते हैं या सरकार का उद्देश्य यह है कि जो भी थोड़ी बहुत जमीन बटाईदारों को बटाई पर, कहीं चौथाई हिस्से पर कहीं मालगुजारी पर मिलती थी वह इस बिल के हौआ से छिन जाय। यदि आपमें ईमानदारी होती, गरीबों के लिये लगन होती, तो इस बिल को प्रवर समिति में खटाई की तरह नहीं फुलाते। आज सारी बातें सरकार के सामने हो रही हैं इसलिये मैं कैसे मानूं कि आप उनकी भलाई चाहते हैं। आज किसानों की हालत यह हो रही है कि अनाज का भाव गिरता जा रहा है और ३०-३५ प्रति शत गिर चुका है उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। यदि आप गांव के लोगों को सुखी रखना चाहते हैं और बेकारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो काटेज इंडस्ट्रिज को स्मौल स्केल पर आगे

बढ़ायें। सारी दुनिया को उठाकर देखें, आपके प्रांत में करीब ५४ प्रतिशत लोग स्मौल इंडस्ट्रीज पर निर्भर करते हैं, अमेरिका ऐसे उन्नत प्रांत और युनाईटेड किंगडम में भी यही हालत है। करीब-करीब १९ प्रतिशत टोटल पोपुलेशन के लिये भिलेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। आप अगर किसानों को भलाई चाहते हैं, किसानों का उत्थान चाहते हैं तो भिलेज इंडस्ट्रीज पद ध्यान देना चाहिये। इस दृष्टि कोण से हमारा देश, हमारा प्रांत गरीब है, हमारे पास पूंजी का अभाव है। वड़े-वड़े फैक्ट्री में जितनी पूंजी की जरूरत है नहीं लग पाता है। इसलिये तय करना होगा कि जो वड़ी-वड़ी फैक्ट्रियां हैं उसमें पूंजी लगाना होगा। जो थोड़ी पूंजी है स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज की ओर लगाया जाय। चूंकि पूंजी का अभाव है इसलिये कुटिर उद्योग में हमारा ध्यान जाना जरूरी है। कुटीर व्यवसाय और पूंजी के अभाव दोनों दृष्टिकोण से कुटीर व्यवसाय को डेवलप करना होगा जो किसान हैं। जिनको साल भर काम नहीं मिलता कुटीर उद्योग में लग सकते हैं। जरूरी है कि इसके लिये सरकार मदद दे। इसके लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, इसके लिये लोगों के बीच में जाकर इस चीज को करें, इसके लिये जो उत्पादन हो, क्रय माल की बिक्री की व्यवस्था करे। गांव में कई चीज होती हैं उसकी बिक्री का कोई इंतजाम नहीं है। किसान जो चीजें उत्पन्न करते हैं खलिहान में बेंच देना पड़ता है। शहर में दूर देश में नहीं ले जा सकते। मार्केटिंग की व्यवस्था के अभाव में इस तरह १४ रु० मन बेंच देना पड़ता है। मार्केटिंग की व्यवस्था वहां नहीं है। को-ऑपरेटिव मार्केटिंग कि फैसिलीटी है अगर सरकार व्यवस्था करे तो हम किसानों की भलाई हो सकती है, ज्यादा मुनाफा हो सकता है। सरकार अगर लौंग टर्म और सौर्ट टर्म लोन दे तो महाजनों से छूट सकते हैं। इस तरह कौटेज इंडस्ट्रीज को आगे वढ़ा सकते हैं। सरकार ने तो लोन की व्यवस्था की है लेकिन उसके लिये ६-६ महीने, साल-साल भर दौड़ना पड़ता है, जो लोन लेना होता है वह भी तव सफल होता है जब गुप्त दान देते हैं। इस सदन में कितने सदस्यों ने कहा है कि इतनी भ्रष्चाटार हो गई है लेकिन सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंगती। इसके लिये यही कहना ठीक होगा कि—

"अंधेर नगरी, चौपट राजा,
टके सेर भाजा, टके सेर खाजा।"

हरएक जगह गुप्त दान देने की जरूरत है। हमारे हिन्दू धर्म में साल में एक वार अक्षयनौमी के अवसर पर औंरा के गाछ के नीचे गुप्त दान दिया जाता है। हमारे यहां कलक्टर के सामने दाये, वायें सब जगह गुप्त दान चल रहा है। फिर भी हमारी सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंगती। आज जितना काम कर रहे हैं, जो विकास योजना की ओर आप बढ़ रहे हैं और वहुत से काम भी हो रहे हैं, मगर आप भ्रष्टाचार को इस प्रांत से उठा पावें तो आपका नाम वहुत ऊपर हो जायगा नहीं तो भ्रष्टाचार के गहरे गर्त्त में आप चले जायंगे और साथ ही ९ हाथ पगहा, यानि प्रांत की जनता को भी साथ ले जायंगे।

श्री रामानन्द उपाध्याय—मैं पूछना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय सदस्य बोले कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजा, टके सेर खाजा, क्या यह अन-पार्लिया-मेंटरी नहीं है। यह मिनिस्टर के ऊपर वहुत वड़ा आरोप है।

उपाध्यक्ष—यह अन-पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री रामचरित्र सिंह—अन-पार्लियामेंटरी तो नहीं है। लेकिन मिनिस्टर लोग राजा नहीं, सेवक हैं।

श्री मुद्रिका सिंह—तो मैं सिंचाई मंत्री जी के बारे में १-२ बातें करना चाहता हूँ। इसके लिये मैं सिंचाई मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि एक ही मिनिस्टर हैं जिनमें डिमोक्रेटिक स्पिरिट है। और जितने मंत्री हैं, जितने विभाग हैं वहां यह बात नहीं दिखती कि जब वे जिले में जायं तो वहां के प्रतिनिधि जो एम० एल० ए० हैं उनसे बातचीत करें, विचार विमर्श करें, उनकी राय लें, उनकी जो गलत राय है उसे काटें और जो सही राय हैं उसे कार्यान्वित करने की कोशिश करें। यह जो उनका डिमोक्रेटिक स्प्रीट है वह और मिनिस्टरों के लिये उदाहरण स्वरूप होना चाहिये। मैं इस डिमोक्रेटिक स्प्रीट के लिए सिंचाई मंत्री को दाद देता हूं। लेकिन एक बात मैं सिंचाई मंत्री से कहूंगा कि जो जन्मपत्री में सिंचाई की तैयार होती है उस जन्मपत्री में बहुत समय लग जाता है। न जाने क्यों जब कभी जन्मपत्री तैयार की जाती है, आप इतने रहमदील हैं, आप अपने एक्सपर्ट के कहने पर इतना चलते हैं कि जन्मपत्री कभी २-३ वर्ष में तैयार नहीं हो पाता है। यह आपके लिये प्रशंसनीय नहीं है। मैं मानता हूं कि दो एक स्कीम हुए हैं। उनके एक्सपर्ट कहते हैं कि पुनपुन में कोई स्कीम संभव नहीं है। जब कोशी में स्कीम फिजिबुल हो सकती है, दुनिया के बड़ी-बड़ी नदियों में स्कीम फिजिबुल हो सकती है, बिजली उत्पन्न की गई है तो समझ में नहीं आता है कि आपके एक्सपर्ट कैसे कहते हैं कि पुनपुन में एक्सपर्ट फिजिबुल नहीं है। आपके एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि पुनपुन में बांध बंधेगें तो बरसात में बहुत सा एरिया डूब जायगा। पुनपुन में बहुत से डिस्ट्रिब्यूटरीज भी हैं।

यदि पुनपुन की सहायक नदियों को बांध दिया जाय तो बरसात में पटने जिले में जहां पानी जम जाता है, वहां पानी का जमना रुक जायगा। आपकी एक योजना होनी चाहिये। यदि आप छानबीन कर काम करें और अपर तथा लोअर मोरहर नदी में काम शुरू करे तो पुनपुन में पानी का बोझ कम हो जायगा। धावा या और दूसरे पइन में स्कीमों को पूरा किया जाय तो जल का प्रवाह कम होगा। यदि आप काम ठीक से करेंगे तो आप के एक्सपर्ट का हउआ बेकार साबित होगा। यदि पुनपुन में काम टेक अप नहीं किया गया तो यह इंजीनियरिंग साइन्स के लिये एक चुनौती है। मोरहर में यदि आप थोड़ा और खर्च करें तो जहां आज केवल धान उपजाने के लिये पानी दे सकते हैं वहां किसानों को सालों भर पानी मिल सकता है और इससे हर किस्म की फसल उपज सकती है। हर साइन्स एक कामन सेन्स से पूरा होता है। यदि इंजीनियर लोग इस कामन सेन्स को व्यावहारिक जीवन में नहीं उतारेंगे तो लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं करने से वे साइन्स के साथ अन्याय करेंगे और अपने साथ भी गद्दारी करेंगे। मैं जो कह रहा हूं उस पर छानबीन करके काम किया जाय, यही मेरा सरकार से निवेदन है।

अभी सदन में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है लेकिन लीडर ऑफ दी हाउस हैं। आज इस विभाग के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन खलासी का पोस्ट उठा दिया गया है। इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जब तक दो आदमी न रहें तब तक सामान उतारना या चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हमको गया से औरंगाबाद जाना है तो १० मील आगे नहीं उतरें तो टमटम नहीं मिलेगा और सामान रखने में काफी मुश्किल होगा। हर यात्री के साथ कुछ बब

और कुछ बिछावन रहती ही है। एक तरफ तो इस विभाग में अफसरों की वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर खलासी गरीबों को हटाया गया है। असर्फी की लूट और कोयलों पर छाप वाली बात है। शुरू में बसें ठीक समय पर चलती थीं लेकिन कितनी बार मैंने इस सदन में कहा लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इन्हीं दो कारणों से राज्य ट्रांसपोर्ट जो जनप्रिय हो रही थी, इसकी तरफ से अब लोग उदासीन हो रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है कि इन चीजों को दूर किया जाय जिससे इस विभाग के बारे में लोगों में जो विरोधी भावनाएं उठ रही हैं वे खतम हो जायं।

श्री जगलाल महतो—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कुछ बातों को सदन के सामने रखना चाहता हूं और आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं। हमारे जिला परिषद् को १९४९ से १९५४ तक करीब ६ लाख रुपये बिहार खादी समितियों से सामान खरीदने के लिये मिला था। जिनमें से अधिकांश का व्यय पिछले दो सालों में हुआ है। गत वर्ष १ लाख २५ हजार व्यय हुआ है लेकिन इसके लिये न तो टेन्डर कौल किया गया और न ऐसी दूकानों से सामग्रियां खरीदी गयीं जो रजिस्टर्ड हों। असेम्वली के पंचम सत्र में माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि जिला परिषदों को यह आदेश दिया जा चुका है कि वे बिहार खादी समितियों से सामग्रियां खरीदें। सितम्बर १९५४ में प्रश्न संख्या २३७ के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि गया जिला परिषद् ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है और वर्तमान सत्र में प्रश्न संख्या ९३९ के उत्तर में इन्होंने कहा है कि सरकार को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं मान सकता हूं कि सरकार को कुछ मालूम नहीं है और अगर मालूम भी हो तो कहने की आवश्यकता नहीं है। इतनी चीजों का दुरुपयोग हो और सरकार को इसकी खबर नहीं। यहां प्रश्नों के उत्तरों से यह पता चलता है कि ये सब चीजें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ठीकेदार के मकान में दो साइन बोर्ड "बुनियादी सामग्री घर" और 'कृषि उद्योग भंडार' लिखा हुआ लटका दिया गया और उनसे १ लाख २५ हजार की सामग्रियां खरीदी गई। सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट कहता है कि सेल्स टैक्स का रुपया मुझे नहीं मिलता लेकिन उनका पेमेन्ट हो गया। इस संबंध में बड़ा हल्ला हुआ और माननीय मंत्री महोदय के पास यह आवेदनपत्र दिया गया कि ऐसे नाजायज तरीके से सामग्रियां खरीदी जा रही हैं, इसकी इन्क्वायरी हुई, पेमेन्ट बन्द करने के लिए सरकार ने गया कलक्टर को आर्डर दिया। कलक्टर ने पेमेन्ट बन्द कर दिया, चेक जब्त कर लिया गया लेकिन एक नाटकीय ढंग से कलक्टर को आर्डर हो गया कि तुम छोड़ दो। एक पत्र जिसकी संख्या ७७९, तारीख ८ मई, १९५४ थी नाटकीय ढंग से चेयरमैन गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एडुकेशनल सुपरिन्डेन्डेन्ट के पास आया, जिला परिषद् के चेयरमैन ने लिखा है कि आप पेमेन्ट कर दीजिए क्योंकि मिस्टर मेनन ने फोन पर कलक्टर को कह दिया है कि पेमेन्ट कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी इन्क्वायरी और उसकी कोई रिपोर्ट नहीं और फोन से आर्डर कर दिया गया और १ लाख २५ हजार रुपया का पेमेन्ट हो गया। मंत्री महोदय कहते हैं कि दुकानें अनरजिस्टर्ड है, मैंने आज्ञा दी थी कि बिहार खादी समिति से खरीदी जाय इतना होने के बाद भी मंत्री महोदय को इसका पता नहीं। यह बिहार मंत्री मंडल की एफिशियन्सी का नमूना है।

अध्यक्ष महोदय, अब यह देखा जाय कि कौन-कौन चीजें खरीदी गईं और किस कीमत पर इसका ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह

तीन का तेरह किया गया है और किस तरह सरकारी रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। नीचे लिखे सामान अनरजिस्टर्ड दूकानों से खरीदे गये हैं।

सामान	संख्या	प्रति एक की कीमत	बाजार भाव
१। खूरपी	१५,८४०	साढ़े आठ आने।	
२। टकुआ	१५,८४०	तेरह आने	तीन आने।
३। हंसुआ	१५,८४०	नौ आने।	
४। कुड़ी	३५१	१० रुपए।	
५। कुदाल	३,१९८	३ रु० १२ आने।	
६। टोकरी	६,३३६	दो रुपया चार आने।	
७। बाल्टी	..	साढ़े चार रुपये।	
८। कैंची	११७	पौने ९ रुपए।	
९। लकड़ी के बक्स		४० रुपए।	

बक्स लकड़ी के थे और संभवतः वे घुन गये। अध्यक्ष महोदय, अब देखा जाय कि किस तरह नाजायज तरह से बिना किसी औथोरिटी के ये सब चीजों को खरीदी गई और इन ज्यादतियों के बावजूद भी जिला परिषद् की जिन्दगी ५ से बढ़ा कर ९ साल की कर दी गई है। अब यह मालूम पड़ता है कि न दुःशासन थकेगा और न द्रौपदी का चीर घटेगा। सरकार से पुछा जाता है तो सरकार कहती है कि यह विचाराधीन है और इधर इतना ज्यादा रुपया बर्बाद होगा। मेरा कहना यह है कि अगर कोई माननीय मंत्री किसी काम का इंतजाम नहीं कर सकते हों तो मंत्री महोदय को चाहिये कि वे दायित्वपूर्ण व्यक्ति की खोज करें।

इंस्पेक्टर ऑफ लोकल बडीज ने ८ से १० जनवरी तक जिला परिषद् का निरीक्षण किया था और उसके संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा था उसका रेफरेंस हम यहां कर देना चाहते हैं। जिला परिषद् का इंसपेक्टर महोदय ने जो पहले भी इंसपेक्शन किया था और उस समय जो नोट लिखा था उसकी उन्होंने खोज की। जो समय समय पर अफसर लोग लिख जाते थे। इंसपेक्टर महोदय ने लिखा है कि ३ दिन तक जिला परिषद् के आफिस में खोज जारी रही लेकिन पिछला इंसपेक्शन नोट नहीं मिला। दूसरा नोट जो उन्होंने लिखा उसमें यह लिखा कि जिला परिषद् की मिटिंग बहुत कम बुलाई जाती है। इंसपेक्शन नोट न तो जिला परिषद् के आफिस में पाया जाता है और न कायदे के मुताबिक सदस्यों को बताया जाता है। क्योंकि जब अफसर लोग खोजते हैं तो वह नोट गायब रहता है।

(इस समय अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, हम यह देख रहे हैं कि सदस्यों की

ख्वाहिश अभी भी बोलने की है। इसलिये मैं दरखास्त करूँगा कि यदि आप लोग चाहें तो कुछ देर बैठकर इस बिल को पास कर दें। अगर अभी बैठना नहीं चाहते हैं तो कल साढ़े आठ बजे से साढ़े बारह बजे तक हमलोग बैठें और इस बिल को इसके अन्दर पास कर दें ताकि हम इसको दूसरे हाउस में ले जा सकें। इस बीच में ४

घंटा आपको मिल जाता है। अगर यह इतने समय में नहीं पास होता है तो दूसरे सदन से इसको पास कराने में दिक्कत हो जायगी। इस बात को ध्यान में रखकर हमलोगों को इसे साढ़े बारह बजे तक पास कर देना है।

अध्यक्ष—जैसा डा० अनुग्रह नारायण सिंह ने आपसे अनुरोध किया है, उससे मालूम होता है कि यदि हमलोग यहां साढ़े १२ बजे तक पास नहीं करेंगे तो इसको कौंसिल से निकलने में देरी हो जायगी। इसलिये हमलोग कार्यक्रम में परिवर्तन कर दें तो अच्छा है। मैं अपने सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि आप कष्ट उठावें और साढ़े आठ बजे सुवह कल बैठें। साढ़े १२ आखिरी समय है। मिनिस्टर साहव तो १२ ही कह रहे थे लेकिन हमने साढ़े १२ का समय रखा। अब प्रश्नोत्तर का समय क्या रहे, इस पर आप लोग अपनी राय दें।

सदस्यगण—दो बजे से तीन बजे तक प्रश्नोत्तर का समय रखा जाय।

अध्यक्ष—अब मैं घोषित करता हूँ कि कल प्रातः साढ़े ८ से साढ़े १२ बजे तक विहार एप्रोप्रियेशन विल पर वहस होगी और २ बजे से ३ बजे तक प्रश्नोत्तर का समय रहेगा।

सभा वुधवार, तिथि ३० मार्च, १९५५ को साढ़े ८ वजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना,
२९ मार्च, १९५५।

रघुनाथ प्रसाद,
सचिव, बिहार विधान सभा।

बि० स० मु०—(एल०ए०)८८(ए)—८७०+१—३०-८-५५—तीगा।